न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,अनूपगढ़ जिला अनूपगढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार राव (आर.ए.एस.)

वाद संख्या 63 / 2024

सी.सी.एम.एस.नं. 2024 / 125

विमला देवी पत्नी रामगोपाल जाति कुम्हार निवासी चक–51 एफ तहसील श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर (राज.)

——वादीया

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व अनूपगढ़ जिला अनूपगढ़ (राज.)

———प्रतिवादी

वाद पत्र बाबत् अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वकील उपस्थित

1. श्री हंसराज डाल एडवोकेट –वादीया की ओर से
2. राज पैरोकार –प्रतिवादी की ओर से

–:: निर्णय ::– **दिनांक:–23.12.2024**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वाके चक–4 ए तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–17 प.नं.–261 / 459 के किला नं.–17 ता 19, 21, 22 का 0.9030 हैक्टर अनकमाण्ड रकबा राधा पुत्री बीरबलराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदारी दर्ज हैं प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र हैं वादीया को वादीया के पीहर में राधा के नाम से पुकारा जाता था तथा वादीया की शादी होने के बाद वादीया के ससुराल वालों ने वादीया का नाम विमलादेवी रख दिया तथा विमलादेवी के नाम से ही वादीया ने अपने समस्त दस्तावेजात जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड तथा भामाशाह कार्ड आदि बनवा लिए इसलिए वादीया का सही व वास्तविक नाम विमलादेवी पत्नी रामगोपाल है, लेकिन वादीया का पीहर में घरेलू नाम [illegible] कारण वादीया को शादी से पूर्व राधा के नाम से एवं शादी होने के [illegible] नाम से पुकारते है वादीया यहां यह स्पष्ट करना उचित समझती है कि [illegible] अपने पिता बीरबलराम की विरासतन सम्पति में से प्राप्त हुई है वादीया के पिता बी[illegible]राम का वर्ष 2005 में देहान्त हो चुका हैं वादीया के पिता बीरबलराम के कुल 8 जायज वारिस हैं जिसमें पत्नी मामकोरी, पुत्र हरीराम, पुत्री गुडडी, पुत्री रूकमादेवी, पुत्री विधादेवी व वादीया पुत्री (राधा उर्फ

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.04.28 14:59:11 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

विमलादेवी), पुत्र गणेशाराम व पुत्र रमेश कुमार हैं चूंकि वादीया को शादी से पूर्व राधा के नाम से पुकारते थे इसलिए वादीया के पिता के देहान्त के बाद वादीया के पिता के वारिस प्रमाण–पत्र में वादीया के पीहर का नाम राधा दर्ज करवा दिया गया उसी आधार पर आगे वादीया के नाम से इन्तकाल दर्ज करते समय उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादीया का नाम विमलादेवी के स्थान पर राधा ही दर्ज हो गया वादीया का सही नाम विमलादेवी पत्नी रामगोपाल हैं तथा वादीया का आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड तथा भामाशाह कार्ड आदि जिनकी प्रतियां सलग्न है मे वादीया का नाम विमलादेवी पत्नी रामगोपाल दर्ज है, लेकिन वादीया के पीहर में वादीया को उसके घरेलू नाम राधा के नाम से पुकारते थे, जबकि वादीया का सही व वास्तविक नाम विमलादेवी पत्नी रामगोपाल हैं इस सम्बन्ध में सरपंच ग्राम पंचायत 61 जी.बी द्वारा अपने लैटर पैड पर इस आशय की तहरीर करके दी गई हैं कि राधादेवी का नाम ससुराल में विमलादेवी है, राधा व विमलादेवी दोनों नाम एक ही औरत के हैं तथा सरपंच ग्राम पंचायत 50 एफ रूपनगर द्वारा भी अपने लैटर पैड पर तहरीर करके दी गई है कि विमलादेवी का पीहर में नाम राधा है, विमलादेवी परेशानियों का सामना करना पड रहा है इसलिए भी न्यायहित में राजस्व रिकार्ड में सहवन से गलत दर्ज हुए नाम को दुरूस्त किया जाकर सही नाम दर्ज किया जाना आवश्यक है ताकि भविष्य में वादीया को दो अलग अलग नाम दर्ज होने से किसी प्रकार की परेशानियों का सामना ना करना पडे और वादीया अपने सही या वास्तविक नाम विमलादेवी के नाम से ही अपनी उक्त कृषि भूमि का उपयोग व उपभोग कर सके इसलिए वादीया माननीय न्यायालय से घोषणा करवाने की विधिक अधिकारीणी एवं दावेदार हैं फलस्वरूप वादीया को माननीय न्यायालय की शरण में आना पड़ रहा है अतः वाद पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र वादी बहक वादीया खिलाफ प्रतिवादी निम्न प्रकार से निर्णित एवं डिक्री फरमाया जावें इस अमर की घोषणात्मक डिक्री पारित की जावे कि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 में दर्ज खातेदारी कृषि भूमि वाके चक–4 ए तहसील अनूपगढ का मुरब्बा नं.–17 पत्थर नं.–261/459 के किला नं.–17 ता 19, 21, 22 का 0.9030 हैक्टर अनकमाण्ड खातेदारी रकबा जो राधा पुत्री बीरबल राम के नाम से दर्ज है, के संबंध में वादीया के खातेदार अधिकार की घोषणा की जाकर इस कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादीया का नाम राधा उर्फ विमलादेवी पत्नी रामगोपाल के नाम की घोषणात्मक डिक्री जारी की जाकर प्रतिवादी को वादीया का नाम राधा उर्फ विमलादेवी पत्नी रामगोपाल दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार अनूपगढ़ से जवाब स्टेट प्राप्त किया गया। जबाब स्टेट तहसीलदार (भू.अ.) से प्राप्त रिपोट मुताबिक राज[illegible] उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में च[illegible] तहसील [illegible]पगढ़ मुरब्बा नं.–17 पत्थर नं.–261/459 का किला नं.–17 ता 19 21, 2[illegible] कुल भूमि 0.903[illegible] कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादिया का नाम राधा पुत्री बी[illegible] पत्नि रामगोपाल की दुरुस्त करने का निवेदन किया है जिसकी रिपोर्ट पटवारी हल्का से रिपोर्ट ली गई। मुताबिक पटवारी रिपोर्ट जमाबंदी में पत्थर नं.–261/459 मुंरब्बा नं.–17 का रकबा 0.9030 हैक्टर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Ku
Rao
Date: 2025.04.28 14:59:11 IS
Reason: SelfAttested

सुरेश राव आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ

राधा पुत्री बीरबलराम जाति कुम्हार सा. 3 ए खातेदार दर्ज है उक्त कृषि भूमि राधा पुत्री बीरबलराम को जरिए विरासतन इतकाल सं. 216 दिनांक 20.10.2014 प्राप्त हुई है मौके पर उपस्थित व्यक्तियों से पूछताछ करने पर बताया गया कि राधा पुत्री बीरबलराम की शादी 61 एफ करणपुर में लगभग 2006-07 में कर दी गई थी। ग्राम पंचायत 60 एफ रूपनगर पंचायत समिति श्रीकरणपुर के अनुसार राधा व विमला देवी एक ही औरत का नाम बताया है ग्राम पंचायत 61 जी.बी के राधादेवी व विमला देवी दोनो नाम एक ही औरत का होना बताया गया है अतः प्रार्थीया राधा पुत्री बीरबलराम से विमलादेवी पुत्री बीरबलराम करवाना चाहती है रिपोर्ट के साथ वादी स्वयं का शपथ पत्र, ग्राम पंचायत 61 जी.बी वर्ष 2024 मे जारी प्रमाण–पत्र व ग्राम पंचायत 60 एफ रूपनगर जारी प्रमाण–पत्र 2024 दैनिक डायरी आदि दस्तावेज प्रस्तुत किये।

बहस सुनी गयी। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मेरे द्वारा मनन किया गया। तहसीलदार (भू0अ0) अनूपगढ़ द्वारा प्राप्त रिपोर्ट कमांक–भू.अ./2024/3134 दिनांक–11 सितम्बर 2024, ग्राम पंचायत 61 जी.बी वर्ष–12.11.2024 मे जारी प्रमाण–पत्र एवं कार्यालय ग्राम पंचायत 50 एफ द्वारा जारी प्रमाण–पत्र के आधार पर वादी का नाम राधा पुत्री बीरबलराम के स्थान पर राधा उर्फ विमलादेवी पुत्री बीरबलराम दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अत एवं वाद वादी बहक वादी विरूद्द प्रतिवादी स्वीकार किया जाता है।

–:: आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी बहक वादी विरूद्द प्रतिवादी स्वीकार किया जाकर सयुक्त खाता की कृषि भूमि वाके चक–4 ए तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–17 पत्थर सं. –261/459 का किला नम्बर 17 ता 19, 21, 22 का कुल भूमि 0.9030 हैक्टर कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में **वादीया का नाम राधा पुत्री बीरबलराम के स्थान पर राधा उर्फ विमलादेवी पुत्री बीरबलराम का अंकन किया जावें।** प्रतिवादी तहसीलदार अनूपगढ़ को उक्त आदेश को राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार अमलदरामद करने हेतु तहरीर अलग से जारी हो।

निर्णय आज **दिनांक–23.12.2024** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सुरेश कुमार राव

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.04.28 14:59:11 IST
Reason: SelfAttested